(भारत के राजपत्र असाधारण भाग-I, खण्ड-1 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
उद्योग भवन, नई दिल्ली–110011

सार्वजनिक सूचना सं. 58 /2015–2020
नई दिल्ली, दिनांक : 01 फरवरी, 2016

विषयः परिशिष्ट एवं आयात निर्यात प्रपत्र (2015–2020) के एएनएफ 2क में संशोधन।

विदेश व्यापार नीति (2015–2020) के पैरा 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा एएनएफ 2क ख्आयातक–निर्यातक कोड संख्या (आईईसी) में संशोधन करने/को जारी करन के लिए आवेदन प्रपत्र, में संशोधन करते हैं और आगे अधिसूचित करते हैं किः

(i) इस सार्वजनिक सूचना के लागू होने की तिथि से, आईईसी के लिए ऑनलाइन आवेदन हेतु केवल 2 दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिकली अपलोड करने की आवश्यकता होगी। वे दस्तावेज हैं–;पद्ध पैन कार्ड ;पपद्ध पूर्व मुद्रित किया हुआ धारक की कंपनी के नाम का रद्द किया गया चेक अथवा हस्ताक्षरकर्ता आवेदक के डिजिटल फोटोग्राफ के साथ बैंक प्रमाणपत्र।

(ii) मौजूदा प्रारूप के अनुसार आयातक–निर्यातक कोड (आईईसी) के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की मैनुअल प्रणालो को दिनांक 01.04.2016 से समाप्त कर दिया जाएगा।

(iii) नए आईईसी के लिए आवेदन दिनांक 01.04.2016 से केवल ऑनलाइन प्रणाली में स्वीकार किए जाएंगे।

(iv) अतः दिनांक 01.04.2016 से डिजिटल हस्ताक्षर (श्रेणी–प्प अथवा श्रेणी–प्प्प) द्वारा आवेदक आईईसी के लिए/आईईसी म संशोधन के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदकों को डिजिटल हस्ताक्षर प्राप्त करने के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए http://dgft.gov.in/exim/2000digsig.htm वेबसाइट देखने की सलाह दी जाती है।

(v) यथा संलग्न, आईईसी आवेदन (एएनएफ 2क) और बैंक प्रमाणपत्र [एएनएफ–2क (i)] के लिए संशोधित ऑनलाइन प्रारूप को अधिसूचित किया जाता है।

(vi) सभी दृष्टियों से पूर्ण आवेदन पत्र की प्राप्ति के बाद, आईईसी की स्वीकृति और अस्वीकृति के संबंध में निर्णय लिया जाएगा और इसके साथ संलग्न जांच सूची के आधार पर आवेदन को प्रक्रियाबद्ध करने के बाद दो कार्य दिवसों के अंदर डीजीएफटी के संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी (आरए) द्वारा सूचित किया जाएगा।

(vii) डीजीएफटी प्रणाली के साथ इसके समन्वय के बाद, डीआईपीपी के ई–बिज पोर्टल द्वारा भी आईईसी के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की सुविधा भी उपलब्ध हो जाएगी।

(viii) विनिर्माता निर्यातक के दर्जे का दावा करते हुए जो व्यक्ति किसी प्राधिकारी से कोई लाभ प्राप्त करना चाहता है, उसे उस प्राधिकारी के लिए स्वतंत्र रूप से अपनी विश्वसनीयता सिद्ध करनी होगी।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः

आवेदक, तत्काल प्रभाव से, अपने डिजिटल फोटोग्राफ के साथ, केवल दो दस्तावेजों की अपलोडिंग करके आईईसी के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। दिनांक 01.04.2016 से आईईसी के लिए आवेदन की मैनुअल प्रणाली को समाप्त कर दिया जाएगा और दिनांक 01.04.2016 से डिजिटल हस्ताक्षर के साथ आईईसी के लिए/आईईसी में संशोधन के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकृत किए जाएंगे।

(अनूप वधावन)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ई–मेलः dgft[at]nic[dot]in

[फा0 सं0 01/93/180/20/एएम–13/पीसी–2 (ख) से जारी

आयातक–निर्यातक कोड (आईईसी) संख्या को जारी/में संशोधन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन फार्म संबंधी दिशा–निर्देश

- आवेदकों को आवेदन करने से पूर्व अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ने की सलाह दी जाती है।

  टिप्पणीः आईईसी आवेदन फार्म को केवल इन्टरनेट एक्सप्लोरर 11 अथवा इससे अग्रवर्ती, क्रोम 6.3.2 अथवा जावा स्क्रिप्ट समर्थित अग्रवर्ती में देखा जा सकता है।
- दिनांक 01.04.2016 से आईईसी के आवेदन/आईईसी में संशोधन केवल आनलाइन तरीके से उपलब्ध होगा।
- दिनांक 01.04.2016 से आईईसी के आवेदन/आईईसी में संशोधन केवल आनलाइन तरीके से उन आवेदकों द्वारा किया जा सकता है जिनके डिजिटल हस्ताक्षर (श्रेणी–II अथवा श्रणी–III) हैं।
- आवेदकों को (एन) कोड सोल्यूशन सीए, ई–मुद्रा और सेफ स्क्रिप्ट [सिफी कॉम/सिफी कम्यूनिकेशन लिमिटेड (पूर्व में सेफ स्क्रिप्ट लिमिटेड] से डिजिटल हस्ताक्षर प्राप्त करने के लिए http://dgft.gov.in/exim/2000/digsig.htm का अध्ययन करने की सलाह दी जाती है।
- ऑनलाइन आवेदनों के लिए केवल 2 दस्तावेज अर्थात् (i) पैन तथा (ii) कंपनी के पूर्व मुद्रित नाम वाला निरस्त चेक अथवा बैंक प्रमाण–पत्र, अपलोड किए जाने हैं।
- आईईसी प्राप्त करने के इच्छुक हस्ताक्षरकर्ता आवेदक को अपनी डिजिटल फोटो (3x3 से0मी0) अपलोड करना अपेक्षित है।
- नए आईईसी/आईईसी में संशोधन हेतु ऑनलाइन आवेदन फार्म (एएनएफ–2क) संलग्न है।
- बैंक प्रमाण–पत्र का प्रारूप संलग्न (एएनएफ–2क (i) के अनुसार होगा।
- यह सुनिश्चित करें कि अपलोड करने से पहले दस्तावेज स्पष्ट रूप से लिखे हों।
- दस्तावेजों को डिजिटल प्रारूप–जीआईएफ, जेपीईजी में अपलोड किया जाना चाहिए जिसका साइज 5 एमबी से अधिक न हो।
- यह सुनिश्चित करें कि आवेदन में भरा गया विवरण अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों अर्थात् (i) पैन तथा (ii) निरस्त चेक अथवा बैंक प्रमाण–पत्र के विवरण के समरूप हो।
- आवेदन फार्म में दी गई सूचना अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों के साथ प्रति–परीक्षण करके सत्यापित की जाएगी तथा जिसका ब्यौरा संलग्न जांच सूची (अनुलग्नक–1) के अनुसार http://incometaxindiaefiling.gov.in तथा http://www.mca.gov.in पर उपलब्ध है।
- आवेदक को यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके द्वारा अपलोड किया गया विवरण उपर्युक्त वेबसाइटों में उपलब्ध विवरण तथा आवेदन फार्म में भरे गए विवरण के समरूप हो। परस्पर विवरण में कुछ बेमेल पाए जाने पर आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा।
- आवेदकों को आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व आवेदन के अंत में दिए गए सामान्य अनुदेशों को भी पढ़ना चाहिए ताकि फार्म का सही भरा जाना सुनिश्चित किया जा सके।
- आवेदक संलग्न की गई जांच सूची के अनुसार अपने आवेदनों का प्रति–परीक्षण भी कर सकते हैं ताकि सूचना के सही प्रस्तुत करने को सुनिश्चित किया जा सके।
- ऑनलाइन आईईसी के एक बार निरस्त होने पर आगे कार्यवाही नहीं की जाएगी। आईईसी प्राप्त करने के इच्छुक आवेदकों को 500/– रुपये की प्रक्रिया शुल्क का भुगतान करके नए सिरे से आवेदन करना होगा।
- आईईसी में संशोधन करने हेतु अनुदेश एएनएफ–2क के भाग छ में उपलबध हैं।

****

एएनएफ–2क

ऑनलाइन आईईसी हेतु लाग इन करना

आवेदक का डिजिटल फोटो (3X3 से0 मी0)

प्रचालन का तरीका (इन विकल्पों में से एक चुनें)	1. नया आवेदन बनाएं अथवा पहले से बने आवेदन को खोलें 2. यदि ई–आईईसी निरस्त कर दिया गया हो तो नया ई–आईईसी बनाएं। 3. पुराने आईईसी को ई–आईईसी में परिवर्तित/संशोधित करें, अथवा 4. ई–आईईसी को संशोधित करें।

पैन संख्या, मोबाइल सं0 तथा ई–मेल आईडी के लिए दिए गए स्थान पर निम्नलिखित विवरण दें तथा टोकन प्राप्त करें।

पैन										
**मोबाइल संख्या										
**ई–मेल आईडी										

टोकन प्राप्त करें

एक जैसे क्रम संख्या वाले दो भिन्न 5 संख्या वाली टोकन संख्या को आपके मोबाइल और ई–मेल आईडी पर भेजा जाएगा।

आईईसी मास्टर स्क्रीन पर लॉग इन करने के लिए निम्नलिखित कॉलमो में इन दो टोकन संख्याओं को भरें।

मोबाइल टोकन	
ईमेल टोकन	

प्रेषित करें

** पैन, मोबाइल संख्या और ई–मेल आईडी को याद रखें।

आवेदक द्वारा पहले से बने आवेदन को प्रत्येक बार खोलने अथवा ई–आईईसी के निरस्त होने पर नया ई–आईईसी बनाने के इच्छुक आवेदक अथवा ई–आईईसी को संशोधित करने हेतु इनकी आवश्यकता होगी।

टिप्पणी : आप प्रत्येक चरण में आवेदन के सही भरे जाने का पूर्वावलोकन कर सकते हैं। एक आवेदन को इसको प्रक्रियाबद्ध करने हेतु प्रस्तुत करने तक कितनी भी बार संशोधित कर सकते हैं।

भाग–क

आवेदक का ब्यौरा		
i. जिसके नाम से आईईसी जारी किया जाना है उस कंपनी का नाम :–		
ii. पता, (कम्पनियों के मामले में पंजीकृत कार्यालय का पता/अन्य के लिए मुख्य कार्यालय का पता आवश्यक है)	फ्लैट/प्लाट/ब्लाक सं0	
	गली/क्षेत्र/इलाका	
	राज्य	जिला

शहर	पिन सं0								

iii. दूरभाष सं0, यदि कोई है (एरिया कोड सहित) ।												

iv. मोबाइल सं0.	मुख्य मोबाइल सं0.											
	अन्य मोबाइल सं0. यदि कोई है।											

v. ई–मेल आईडी/वेबसाइट का पताः	मुख्य ई–मेल आईडी (डीजीएफटी के साथ पत्र व्यवहार हेतु) -	अन्य ई–मेल आईडी, यदि कोई हैः
	वेबसाइट (यदि कोई है):	फैक्स सं0 (यदि कोई है, एरिया कोड सहित)

vi. फर्म/कम्पनी का स्वरुप (कृपया संबंधित वर्ग को चिन्हित करें)	01–स्वामित्व 02– साझेदारी 03– सीमित देयता साझेदारी 04– निजी लिमिटेड 05– सार्वजनिक उपक्रम 06– सरकारी उपक्रम 07– धारा 25 कम्पनी 08– पंजीकृत सोसाइटी 09– न्यास 10– एचयूएफ

vii. (क) मुख्य कार्य (कृपया संबंधित वर्ग को चिन्हित कर)	01– व्यापारी निर्यातक
	02– विनिर्माता निर्यातक 03– व्यापारी सह–विनिर्माता–निर्यातक
	04– सेवा प्रदायक
	05– व्यापारी सह सेवा प्रदाता 06– विनिर्माता सह सेवा प्रदाता 07– व्यापारी सह विनिर्माता सह सेवा प्रदाता 08– अन्य (कृपया दर्शाएं)

viii. आवेदक कंपनी के बैंक खाते का ब्यौरा 1. खाताधारी का नामः 2. खाता संख्याः 3. बैंक का नामः 4. बैंक शाखा का पताः 5. आई एफ एस कोडः
भाग खः शाखा का विवरणः
i शाखा आईडीः

ii भारत और विदेश में स्थित शाखाओं/ प्रभागों/यूनिटों/फैक्ट्रियों का पता	फ्लैट/प्लाट/ब्लाक सं0 पता पंक्ति पता पंक्ति							
	गली/क्षेत्र/इलाका							
	शहर		राज्य					
	जिला							
	शहर	पिन कोड						
(इसी प्रकार, प्रत्येक शाखा का ब्यौरा भर)								

भाग गः कृपया निम्नलिखित विवरण भरें
भाग ग 1. यदि कंपनी, स्वामित्व कंपनी हैः

1. कंपनी के पैन का ब्यौरा	स्वामी का नाम जैसा कि पैन में है।																	
	पिता का नाम																	
	जन्म की तारीख (दिन/माह/वर्ष)																	

ख) घर का पता	फ्लैट/प्लाट/ब्लाक सं0	

	गली/क्षेत्र/इलाका	
	शहर	जिला

	राज्य	पिन कोडः					

(ग) आधार कार्ड संख्या, यदि उपलब्ध हैः												
भाग ग 2 : यदि कंपनी, साझेदारी फर्म हैः												
1. कंपनी के पैन का ब्योरा	पैन में अंकित नाम											
	निगमीकरण की तारीख (दिन/माह/वर्ष)											
	पैन											
2. प्रत्येक साझेदार का निम्नलिखित ब्यौरा भरें :												

क. पैन में अंकित नाम																			
ख. पिता का नाम																			
ग. जन्म तिथि (दिन/माह/वर्ष)																			

घ. साझेदार के घर का पता	फ्लैट/प्लाट/ब्लाक सं0	
	गली/क्षेत्र/इलाका	
	राज्य	जिला

	शहर	पिन कोडः					

ड. मोबाइल नं0											
ज. पैनः											
च. आधार कार्ड संख्या, यदि उपलब्ध हैः											

भाग ग 3 : यदि कंपनी, सीमित देयता साझेदारी/निजी/सार्वजनिक/सरकारी उपक्रम/खण्ड 25 कम्पनी है तोः																				
1. फर्म के पैन का विवरण	पैन में अंकित नाम																			
निगमीकरण करने की तारीख (दिन/माह/वर्ष)																				
	पैन																			
2. एलएलपीआईएन/सीआईएन (जो भी लागू हो)																				
3. पंजीकरण प्रमाण पत्र सं0																				

भाग ग 3 : यदि कंपनी, सीमित देयता साझेदारी/निजी/सार्वजनिक/सरकारी उपक्रम/खण्ड 25 कम्पनी है तोः		
1. फर्म के पैन का विवरण	पैन में अंकित नाम	
निगमीकरण करने की तारीख (दिन/माह/वर्ष)		
4. प्रत्येक साझेदार/निदेशक का ब्यौरा निम्नलिखित में भरें :		
क. नाम/पैन में अंकित नाम		
ख. पिता का नाम*		
ग. जन्म की तारीख (दिन/माह/वष)		
घ. निदेशक पहचान संख्या		
ड. आवासीय पता		

साझेदार के घर का पता	फ्लैट/प्लाट/ब्लाक सं0		
	गली/क्षेत्र/इलाका		
	राज्य	जिला	
	शहर	पिन कोडः	

च. **पैन	
छ. मोबाइल नं0	
ज. आधार कार्ड संख्या यदि उपलब्ध है।	

* **विदेशी नागरिक होने और पैन धारक न होने की स्थिति में आवश्यक नहीं।**

** **(कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की फा0सं. 1/12/2013 सीएल–V दिनांक 22 मई, 2014 में सामान्य परिपत्र सं0 12/2014 के अनुपालन में विदेशी नागरिकों के मामले में अनिवार्य नहीं)**

भाग ग 4: यदि फर्म, पंजीकृत सोसाइटी/न्यास है **

(आयात करने वाले एकल/न्यास संस्थाएं/पंजीकृत एनजीओ, जिनको प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.07 के संदर्भ में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित अलाभकारी वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना अन्तर्गत सीमाशुल्क से छूट प्राप्त है और वे स्थाई आईईसी सं0 0100000126 प्रयोग करते हैं।)

1. सोसाइटी/न्यास के पैन का ब्यौरा	पैन में अंकित नाम	
	निगमीकरण की तारीख	
	पैन	
2. पंजीकरण संख्या		
3. सोसाइटी के सचिव/मुख्य कार्यकारी या न्यास के प्रबन्धक न्यासी का विवरण		
क. पैन में अंकित नाम		
ख. पिता का नाम		
ग. जन्म की तारीख (दिन/माह/वर्ष)		
घ. घर का पता	फ्लैट/प्लाट/ब्लाक सं0	
	गली/क्षेत्र/इलाका	
	राज्य	जिला
	शहर	पिन कोड
ड. मोबाइल न0		
च. पैन		
छ. आधार कार्ड सं0 यदि उपलब्ध है।		
भाग ग 5– यदि फर्म, एचयूएफ है तो		
1. फर्म के पैन का विवरण	पैन में अंकित नाम	
	निगमीकरण की तारीख	
	पैन	
2. कर्त्ता का विवरण		
क. नाम जैसा पैन में अंकित है		
ख. पिता का नाम		
ग. जन्म की तारीख (दिन/माह/वर्ष)		
घ. घर का पता	फ्लैट/प्लाट/ब्लाक सं0	
	गली/क्षेत्र/इलाका	

	राज्य								जिला											
	शहर								पिन कोड											
ड. मोबाइल न0																				
च. पैन																				
छ. आधार कार्ड सं0 यदि उपलब्ध है।																				

भाग घः घोषणा/वचनबद्धता

1. मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं किः

क. फर्म जिसके लिए आवेदन किया गया है को निम्नलिखित किसी भी अधिनियमों (समय–समय पर यथासंशोधित) के अधीन दण्डित नहीं किया गया हैः

(i) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962

(ii) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944

(iii) विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 और

(iv) विदेश विनिमय प्रबंधक अधिनियम, 1999

(v) विदेश विनिमय संरक्षण, तस्करी गतिविधि निवारण अधिनियम, 1974

ख. कम्पनी/फर्म/एचयूएफ/न्यास (जैसा भी मामला हो) का कोई भी निदेशक/साझेदार/स्वामी/कर्ता/न्यासी/फर्म/एचयूएफ/न्यासी किसी अन्य कम्पनी/फर्म/संस्था जो डीजीएफटी की अपात्र घोषित सूची (डीईएल) में है का निदेशक/साझेदार/स्वामी/कर्ता/ न्यासी नहीं है।

ग. न तो कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय/फर्म के मुख्यालय और न ही उसके किसी शाखा कार्यालय(यों)/यूनिट (टों) /डिविजन(नों) को चूककर्ता घोषित किया गया है और न ही नीति के किसी प्रावधान के अधीन आयात/निर्यात करने के लिए अपात्र घोषित किया गया है।

घ. हमने अपने पंजीकृत/मुख्यालय के लिए किसी अन्य लाइसेंसिंग प्राधिकारी से आयातक निर्यातक कोड संख्या प्राप्त नहीं किया है और न ही आवेदन किया है।

ii. मैं/हम समय–समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 1992 उसे तहत बने नियमों और आदेशों, विदेश व्यापार नीति, प्रक्रिया पुस्तक और आयात निर्यात मद के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण के प्रावधानों के पातन की शपथ लेता हूँ/लेते हैं।

(iii) मैं/हम पूर्णतः समझता हूँ/समझते हैं कि आवेदन में दी गई जानकारी गलत या झूठी साबित होगी तो मुझे/हमें कोई भी दण्डात्मक कार्रवाई अथवा परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं जो कि विधि द्वारा निर्धारित या अन्यथा अपेक्षित हो।

(iv) मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि इस आवेदन मे दिए गए ब्यौरे और विवरण मेरी/हमारी जानकारी औ विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं और इसमें कुछ भी छिपाया अथवा रोका नहीं गया है।

(v) मैं एतद्द्वारा सत्यापित करता हूँ कि मैं विदेश व्यापार नीति के पैरा 9.06 के अनुसार इस घोषणा को सत्यापित करने और हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत हूँ।

	घोषणा/वचनबद्धता की स्वीकृति को बॉक्स में अंकित करें और निम्नलिख्त ब्यौरा भरें–

स्थानः

दिनांकः

आवेदक का नाम ....

पदनाम ....

कार्यालय का नाम ....

दूरभाष/मोबाईल नं0..................................

आवेदक का ई मेल ....

हस्ताक्षरी आवेदक का पैन*........................

टिप्पणीः– आवेदन पत्र सोसाइटी के स्वामी/प्रबन्धक साझेदार/पदनामित साझेदार/निदेशक/सचिव या मुख्य कार्यकारी/प्रबन्धक न्यास/कर्त्ता जो भी मामला हो, के डिजिटल हस्ताक्षर के साथ होना चाहिए।

भाग ङ. सामान्य अनुदेश

1. शुल्क ब्यौरा

संदर्भ सं0	
तारीख	
भुगतान का तारीख	
बैंक	
राशि	
लेन–देन सं0	

* शुल्क के भुगतान हेतु आवेदक इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (ईएफटी) (आवेदक के बैंक खाते से ईएफटी) का उपयोग कर सकता है अथवा अपने क्रेडिट/डेबिट कार्ड के जरिए भुगतान कर सकता है।

2. डिजिटल फोटो, पैन कार्ड, और निरस्त चेक अथवा बैंक प्रमाणपत्र अपलोड करें। (एएनएफ–2क(i) के अनुसार)

3. आवेदन का पूर्वावलोकन यह सत्यापित करने के लिए करें कि सभी विवरण संबद्ध कॉलम में भी दिए गए हैं, जैसेः

   1. आईईसी मास्टर
   2. शाखा
   3. निदेशक
   4. क्रेडिट/डेबिट कार्ड अथवा किसी निर्दिष्ट बैंक क माध्यम से ऑनलाइन भुगतान किया गया शुल्क।
   5. डिजिटल फोटो, पैन कार्ड, और निरस्त चेक जिसमें फर्म का पूर्व–मुद्रित नाम अथवा बैंक प्रमाणपत्र संलग्न किया गया हो।

4. आवेदन पर डिजिटल हस्ताक्षर करें (आवेदन वास्तविक स्वामी/प्रबंध साझेदार/नामित साझेदार/निदेशक/सचिव अथवा सोसाइटी/प्रबंध न्यासी/कर्ता का मुख्य र्काकारी, जैसा भी मामला हो द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए) और हस्ताक्षरित आवेदन की स्कैन की गई प्रति "डीसीएलडीओसी" श्रेणी के तहत ऑनलाइन संलग्न करें।

5. आवेदन डीजीएफटी के सबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को ऑनलाइन अपलोड करें। एक क्षेत्रीय प्राधिकरण को प्रस्तुत आवेदन अन्य क्षेत्रीय प्राधिकरण को स्थानांतरित नहीं किए जा सकते।

6. यदि किसी आवेदन पर आवेदक द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर किया जाता है, तो उसे क्षेत्रीय प्राधिकरण, डीजीएफटी को वास्तविक रूप में भेजने की आवश्यकता नहीं है। अन्यथा मैनुअल रूप में हस्ताक्षरित आवेदन की प्रति क्षेत्रीय प्राधिकरण, डीजीएफटी को भेजना होगा। विधिवत हस्ताक्षरित आवेदन पत्र का प्रिंट–आउट संबंधित क्षेत्राधिकार के क्षेत्रीय प्राधिकारी के कार्यालय को डाक द्वारा अथवा कार्यालय में प्रत्यक्ष रूप से जमा किया जा सकता है।

7. फार्म के जमा करने पर प्राप्ति का एक पुष्टिकारक संदेश पंजीकृत ईमेल/मोबाइल नं0 पर भेजा जाएगा। दस्तावेजों/ब्यौरे की प्रक्रिया के पश्चात् एक ई–आईईसी सृजित किया जाएगा और ईमेल के जरिए भेजा जाएगा।

8. अस्वीकृत आवेदनों के मामलों में आवेदक डीजीएफटी की वेबसाइट पर **"**ऑनलाइन आईईसी आवेदन**"** पर पुनः लॉग–इन कर और 500/–रुपये का प्रक्रियान्वयन शुल्क का भुगतान कर नया फॉर्म भरकर नया आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

9. ई–आईईसी धारक ई–आईईसी जारी होने के तुरन्त बाद अपने प्रोफाइल को अपडेट कर सकता है। प्रक्रिया पुस्तक (2015–2020) के एएनएपस–1 में आयातक/निर्यातक का प्रोफाइल शामिल होता है। आईईसी धारक प्रक्रिया पुस्तक (2015–2020) के पैरा 2.15 के अनुसार जब भी कोई परिवर्तन होता है तो तुरंत अथवा किस मामले में वर्ष में कम से कम एक बार अपने प्रोफाइल को अपडेट करने हेतु उत्तरदायी है।

भाग चः आवेदन पत्र फाइल करते समय बरती जाने वाली सावधानियाँ :

*****आवेदक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पूरा ब्यौरा सही हो और दस्तावेजो के अनुरूप हो।

*****डीजीएफटी, क्षेत्रीय प्राधिकरण का चुनाव क्षेत्राधिकार के अनुसार किया गया हो।

*****अपेक्षित शुल्क जमा किया गया हो।

*****जाँच सूची जैसा कि पूर्वावलोकल मे है, का अनुपालन किया गया हो।

*****कृपया यह ध्यान दें कि आप (') के स्थान पर (') और ( ) के स्थान पर { } अथवा [ ] का उपयोग कर सकते हैं।

किसी भी संदेह के लिए http://dgft.gov.in/exim/2000/iechelpfaqhtm/lecFAQ.htm पर बहुधा पूछे गए प्रश्न (एफएक्यू) का संदर्भ लें।

भाग छः आयात निर्यात कोड (आईईसी) संख्या में संशोधन

(*****ई–आईईसी में संशोधन को तदनुरुपी दस्तावेजों के साथ मंडित करने की आवश्यकता है। ई–आईईसी में संशोधन करने से पहले कृपया अन्य आवश्यक/सहायक दस्तावेजों में आवश्यक संशोधन कर लें तथा इन दस्तावेजों को किए गए परिवर्तनों के आवश्यक प्रमाण के रुप में अपलोड किया जा सकता है।)

*****संशोधन के लिए

1. दोनों में से किसी एक को चुनिए:
   पुराने आईईसी से ई–आईईसी में स्थानांतरण/संशोधन अथवा
   ई–आईईसी में संशोधन

2. उपलब्ध कराए गए स्थान में निम्नलिखित विवरण भरें अर्थात पैन संख्या, मोबाइल संख्या और ई–मेल–आईडी और जेनरेट टोकन पर क्लिक करें।

आईईसी संख्या										
पैन										
******मोबाइल संख्या										
******ई–मेल आईडी										
<u>जेनरेट टोकन</u>										

1. दोनों में से किसी एक को चुनिए: पुराने आईईसी से ई–आईईसी में स्थानांतरण/संशोधन अथवा ई–आईईसी में संशोधन	
1. दो विभिन्न 5 डिजिट टोकन संख्या एक ही क्रम संख्या के साथ आपके मोबाइल पर और साथ ही आपके ई–मेल आईडी पर भेजी जाएगी। 2. आईईसी मास्टर स्क्रीन पर लॉग इन करने के लिए निम्नलिखित कॉलम में इन दो टोकन संख्याओं को भरा जा सकता है।	
मोबाइल टोकन	
ई–मेल टोकन	

प्रस्तुत करें

*आवेदक तब मौजूदा विवरणों को देख पाएंगे। वह अपेक्षित विवरणों मे संशोधन कर सकते हैं और उसके लिए दस्तावेजी प्रमाण को अपलोड कर सकते हैं।

*डीजीएफटी की सार्वजनिक सूचना सं0 53, दिनांक 5.01.2016 में क्षेत्रीय क्षेत्राधिकारी में परिवर्तन सहित आईईसी में शाखा कार्यालय/मुख्यालय/पंजीकृत कार्यालय में संशोधन/परिवर्तन की प्रक्रिया दी गई है।

*यह जांचने के लिए कि संबंद्ध कॉलम में सभी अपेक्षित विवरण, आईईसी मास्टर, शाखा विवरण, निदेशक विवरण आदि भरे गए हैं, आवेदन पत्र की पुनः जाँच कर लें।

*200 रु0 के प्रक्रिया शुल्क का भुगतान आनलाइन क्रेडिट/डेबिट कार्ड अथवा किसी अन्य नामित बैंक के माध्यम से नेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है।

*प्रपत्र को प्रस्तुत करने के लिए क्षेत्रीय क्षेत्राधिकारी का चयन करें।

*आवेदन–पत्र को डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करें। (आवेदन–पत्र स्वामी/प्रबंधक साझीदार/नामित साझीदार/निदेशक/सचिव अथवा सोसायटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/प्रबंधक न्यासी/कर्ता जैसा भी मामला हो, के द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए)

एएनएफ–2क (i)

आईईसी जारी करने के लिए बैंक प्रमाण पत्र का प्रपत्र

बैंक कार्यालय के पत्र शीर्ष पर जारी होने के लिए

(बैंक का नाम/ब्रांच का पता)

संदर्भ सं0.................................

सेवा में,

विदेश व्यापार महानिदेशालय के क्षेत्रीय प्राधिकारी का कार्यालय

....

....

....

(कृपया संबंधित क्षेत्र के क्षेत्रीय प्राधिकारी का पता लिखें)

महोदय/महोदया,

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स .... (खाताधारक का नाम) * जिनका बैंक के रिकार्ड के अनुसार पता .... है। उनका .... से हमारे यहाँ बचत जमा खाता/चालू खाता (लागू को चिन्हित करें) सं0 .... है।

प्राधिकृत खाताधारक का पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाएं

टिप्पणीः फोटो को चिपकाया गया है तथा चिपकाया गया अनुप्रमाणित फोटो खाताधारक का है।** [यह उन मामलों मे लागू नहीं होता जहाँ खाताधारक एक संस्थान/कंपनी (एलएलपी/निजी/सार्वजनिक/सरकारी उपक्रम/धारा 25 कंपनी है)]

(जारी करने वाले के हस्ताक्षर)

(प्रबन्धक से नीचे के रैंक का नही)

नाम ....

पदनाम....................................

जारी करने वाले बैंक का आईएफएस कोड.....................

दिनांक ....

बैंक का ई–मेल ....

*बैंक के रिकार्ड के अनुसार खाताधारक का नाम और पता

**आयातक निर्यातक कोड (आईईसी) हेतु आवेदन फार्म में खाताधारक एक हस्ताक्षरी आवेदक है।

विदेश व्यापार महानिदेशालय का .... कार्यालय

<u>आईईसी आवेदन पत्र जांच–सूची</u>

आवेदक का नाम :

आवेदक का पता :

आवेदन सं0 :

(आरए का कार्यालय निम्नलिखित जांच–सूची के अनुसार आईईसी आवेदन–पत्रों को तैयार करेगा):

क्र0सं0	जांच का प्रकार	जांच का विवरण	हां	नहीं
	<u>आवेदक की कंपनी का विवरण</u>	**<u>स्वामित्व फर्म</u>**		
	(i) आवेदक की कंपनी के विवरण की जांच	क्या आवेदन–पत्र में दिए गए स्वामी (नाम) के विवरण अपलोड किए गए पैन की प्रति में दिए गए नाम से मिलते है?		
	(ii) अपलोड किए गए पैन के विवरण की जांच	क्या अपलोड की गई पैन की प्रति में दिए गए विवरण आयकर विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना से मेल खाते हैं?		
	<u>आवेदक की कंपनी का विवरण</u>	**<u>स्वामित्व फर्म</u>**		
	(i) आवेदक की कंपनी के विवरण की जांच	क्या आवेदन–पत्र में दिए गए निम्नलिखित विवरण अपलोड की गई पैन की प्रति में उल्लिखित विवरण से मेल खाते हैं?		
		क) कंपनी का नाम		
		ख) निगमीकरण की तिथि		
		ग) पैन		
	(ii) अपलोड किए गए पैन के विवरण की जांच	क्या अपलोड की गई पैन की प्रति में दिए गए विवरण आयकर विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना से मेल खाते हैं?		
	(iii) साझीदार के पैन विवरण की प्रति–जांच	क्या आवेदन पत्र में दिए गए साझीदार के विवरण आयकर विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना से मेल खाते हैं?		
	<u>आवेदक की कंपनी का विवरण</u>	**एलएलपी / निजी / सार्वजनिक / सरकारी उपक्रम / धारा 25 के तहत कंपनी**		

	(क) **(i) आवेदक की कंपनी के विवरण की जांच**	क्या आवेदन–पत्र में दिए गए निम्नलिखित विवरण अपलोड की गई पैन की प्रति में उल्लिखित विवरण से मेल खाते हैं?		
		क) आवेदक की कंपनी का नाम		
		ख) निगमीकरण की तिथि		
		ग) स्थायी खाता संख्या		
	(ii) अपलोड किए गए पैन के विवरण की जांच	क्या अपलोड की गई पैन की प्रति में दिए गए विवरण आयकर विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना से मेल खाते हैं?		
	(ख) **(i) साझीदार/निदेशक के डीआईएन की जांच**	क्या आपके आवेदन–पत्र में यथा भरे गए साझीदार/निदेशक के विवरण कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट के डीआईएन से मेल खाते हैं?		
	(ii) साझीदार/निदेशक के पैन विवरण की प्रति–जांच	क्या आवेदन पत्र में दिए गए साझीदार (साझीदारों)/निदेशक (निदेशकों) के विवरण आयकर विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना से मेल खाते हैं?		
	(ग) **एलएलपीआईएन/सीआईएन के साथ कंपनी के विवरण की जांच**	क्या पंजीकरण संख्या, निगमीकरण की तिथि और कंपनी का नाम कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट की सूचना से मेल खाते हैं?		
	<u>आवेदक की कंपनी का विवरण</u>	**<u>पंजीकृत सोसाइटी/न्यास</u>**		
	(i) आवेदक की कंपनी के विवरण की जांच	क्या आवेदन–पत्र में दिए गए निम्नलिखित विवरण अपलोड की गई पैन की प्रति में उल्लिखित विवरण से मेल खाते हैं?		
		आवेदन कंपनी का नाम		

	ख) निगमीकरण की तारीख ग) स्थायी खाता संख्या
(ii) अपलोड किए गए पैन विवरण का सत्यापन	क्या अपलोड की गई पैन की प्रति में दिए गए विवरण आयकर विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध जानकारी से मेल खाते हैं?
(iii) आवेदक के पैन विवरण का प्रति–परीक्षण	क्या जो आवेदन प्रपत्र में भरा गया आवेदक का नाम और पैन, आयकर विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध नाम और पैन से मेल खाते हैं?
आवेदक कंपनी का विवरण	एचयूएफफर्म
(i) आवेदक कंपनी के विवरण की जाँच	क्या आवेदन में भरा गया निम्नलिखित विवरण आयकर विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध विवरण से मेल खाते हैं?
(ii) अपलोड किए गए पैन का सत्यापन	जो, अपलोड की गई पैन की प्रति में दिए गए विवरण आयकर विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी से मेल खाते हैं?
(iii) आवेदक के नाम का प्रति–परीक्षण	क्या प्रबंधक न्यासी/कर्ता का नाम और पैन, जो आवेदन प्रपत्र में भरा गया है, आयकर विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध नाम और पैन स मेल खाते हैं?
2. आवेदक कंपनी के बैंक विवरण की जाँच	क्या निम्नलिखित विवरण, जो आवेदक कंपनी द्वारा भरा गया है, धारक कंपनी के पूर्व–मुद्रित नाम से निरस्त किए गए, अपलोड किए गए चेक से मेल खाते हैं: खाता धारक का नाम खाता संख्या बैंक का नाम बैंक शाखा बैंक का आईएफएस कोड
3. अन्य टिप्पणियाँ, यदि कोई है	

*****आवेदक /कंपनी/साझेदार का पैन विवरण आयकर विभाग की वेबसाइट पर **"नो योर पैन"** पर क्लिक करके उसमें आवेदक/कंपनी /साझेदार की जन्म की तारीख/निगमीकरण की तारीख और नाम भरकर सत्यापित किया जाना चाहिए (https://incometaxindiaefiling.gov.in/e-Filing/ Services/ Know Your Pan Link.html)

******साझेदार/निदेशक विवरण, कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर "कंपनी मास्टर डाटा देखें" पर क्लिक करके और "निदेशक के डीआईएन–पैन ब्यौरे सत्यापित करें" पर पहुंचकर उसमें आवेदन मे दर्शाया गया डीआईएन डालकर सत्यापित किया जाना चाहिए।
(http://www.mca.gov.in/MCA21/Master_data.html)

*******सीआईएन, कंपनी का नाम, पंजीकरण संख्या/निगमीकरण की तारीख कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर "कंपनी मास्टर डाटा देखें" पर क्लिक करके उसमें आवेदन में दर्शाया गया एलएलपीआईएन/सीआईएन डालकर सत्यापित किया जाना चाहिए।
(http://www.mca.gov.inMCA21/Master_data.html)

(i) सभी **"हाँ"** पर निशान लगाए हुए आवेदन प्रपत्र को ई–आईईसी दिए जाने के लिए स्वीकार किया जाएगा और आवेदक को ई–मेल किया जाएगा। आवेदक को प्रणाली–प्रेषित एसएमएस द्वारा उसके खाते पर आईईसी को सफलतापूर्वक बनाए जाने की सूचना भी दी जाएगी।

(ii) आवेदक ई–आईईसी प्रिन्ट नहीं कर सकता।

(iii) एक अथवा एक से अधिक **"नहीं"** पर निशान लगाए हुए आवेदन प्रपत्र को अस्वीकृत कर दिया जाएगा और आवेदक को अस्वीकृति पत्र (कारणों के साथ) ई–मेल किया जाएगा।